भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 22
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत संग्रहित प्रीमियम
***22. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः**
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संभाजीनगर सहित देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा कंपनियों द्वारा संग्रहित प्रीमियम की कुल राशि कितनी है;
(ख) उक्त योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा वितरित प्रीमियम की कुल राशि कितनी है;
(ग) इसके तहत बीमा कंपनियों को कुल कितने दावे प्राप्त हुए हैं; और
(घ) इस योजना के तहत किसानों के सभी दावों के भुगतान के बाद बीमा कंपनियों के पास प्रीमियम की कुल कितनी राशि शेष है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत संग्रहित प्रीमियम" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः एवं श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 22 के भाग (क) से (घ) का उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बीमांकिक/बोली प्रीमियम दरें वसूली जाती हैं। पूरे देश में इस मौसम के लिए किसानों से बेहद कम प्रीमियम दर वसूली जाती है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। इसके अलावा, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय, पुडुचेरी आदि कुछ राज्य आंशिक रूप से भी किसानों के हिस्से का प्रीमियम दे रहे हैं। बीमांकिक प्रीमियम का शेष हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है, सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) के, जहां इसे 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।

फसल बीमा किसानों के लाभ के लिए जोखिम कम करने का एक प्रमुख साधन है। बीमा का मतलब है जोखिम को अवधि और क्षेत्र में फैलाव। पीएमएफबीवाई / आरडब्ल्यूबीसीआईएस के प्रावधानों के अनुसार, किसानों से प्रीमियम के साथ-साथ प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा संबंधित बीमा कंपनी को जोखिम की स्वीकृति और योजना के प्रावधानों के अनुसार दावों के भुगतान के लिए भुगतान किया जाता है। बीमा कंपनी अच्छे मौसम/वर्षों में प्रीमियम बचाते हैं और अच्छे वर्षों में की गई बचत से खराब वर्षों में उच्च दावों का भुगतान करते हैं।

वर्ष 2016-17 में योजना की शुरुआत से लेकर 2023-24 तक, किसानों से प्रीमियम के रूप में 32,475 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संभाजीनगर सहित देश भर में किसानों को 1,72,138 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।

जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, योजना की शुरुआत से लेकर अब तक किसानों से प्रीमियम के रूप में 6,125.63 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं और किसानों को 30,198.54 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।

महाराष्ट्र में, योजना की शुरुआत से लेकर अब तक किसानों से प्रीमियम के रूप में 5,369.74 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं और किसानों को 38,233.85 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।

दादरा और नगर हवेली ने अभी तक इस योजना को नहीं चुना है।

******